[redacted]

अनुलग्नक - "क"

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् १९८२.

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२.

[दिनांक ३ मई १९८२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ६ मई १९८२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

खाता उपकर, भूमि विकास उपकर तथा खनिज क्षेत्र विकास उपकर के उद्ग्रहण के लिये और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग १—प्रारंभिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ है. — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

भाग २—खाता भवन उपकर.

२. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— — परिभाषाएं.

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(ख) "खाता भवन उपकर" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्गृहीत खाता भवन उपकर;

(ग) "भू-धारक" से अभिप्रेत है कोई भू-धारी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार;

(घ) "खाता" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसे कोई धारक खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट हैसियतों में से किसी एक हैसियत में या एक से अधिक हैसियतों में राज्य के भीतर धारण किये हुये है;

(ङ) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(च) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का, जिसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(छ) उन "शब्दों तथा अभिव्यक्तियों" के जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं और इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु जो संहिता में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिये दिये गये हैं.

३. (१) प्रत्येक हेक्टर के और उससे ऊपर के प्रत्येक ऐसे खाते पर, जो किसी धारक द्वारा धारित हो, प्रत्येक वर्ष के लिये खाता भवन उपकर प्रति हेक्टर तीन रुपये, पच्चहत्तर पैसे की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जायेगा : — खाता भवन उपकर का उद्ग्रहण

परन्तु इस उपधारा का उपबन्ध, किसी ऐसे खाते के संबंध में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित हो, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो शब्द "छह हेक्टर" के स्थान पर शब्द "दस हेक्टर" स्थापित किये गये हैं.

[redacted]

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत तथा संगृहीत शाला भवन उपकर उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के अतिरिक्त होगा जो भूमि के धारक द्वारा उस भूमि के संबंध में संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय हो और भूमि के धारक द्वारा भू-राजस्व के साथ उसी रीति में देय होगा जिस रीति में कि भू-राजस्व देय होता है.

(३) संहिता के वे उपबन्ध, जो भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, इस भाग के अधीन के शाला भवन उपकर के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उपकर उस खाते पर संहिता के अधीन निर्धारित भू-राजस्व हो.

निधि ... गठन.

४. (१) धारा ३ के अधीन के शाला भवन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिये जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए शाला भवन उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(२) राज्य सरकार प्रतिवर्ष निधि में अपना अभिदाय करेगी जो उपधारा (१) के अधीन निधि में जमा की गई रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगा.

(३) निधि में जमा रकम का उपयोग, संहिता की धारा २ के खण्ड (य-४) में यथापरिभाषित नगरेतर क्षेत्रों में प्राथमिक शाला भवन का सन्निर्माण करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए किसी जिले को निधि में जमा रकम में से केवल उतनी रकम, जितनी कि उस जिले से शाला भवन उपकर के रूप में वसूल हुई हो, उस जिले के लिए राज्य सरकार के अभिदाय के पचास प्रतिशत सहित, आवंटित की जाएगी.

निधि का संधारण तथा प्रशासन.

५. प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि का संधारण और परिचालन, जिसके अन्तर्गत उसमें जमा राशियों का विनिधान या पुनर्विनिधान आता है, इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

[redacted]

परिभाषाएं.

[redacted] इस भाग में,—

(क) "वन विकास उपकर" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन वन विकास द्वारा वन-उपज के विक्रय या प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;

(ख) "वन विकास" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन गठित वन विकास निगम;

(ग) अभिव्यक्ति "वन-उपज" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के लिए भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) की धारा २ के खण्ड (४) में दिया गया है.

वन-उपज के विक्रय पर वन उपकर का उद्ग्रहण.

[redacted] (१) वन विकास द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर, वन विकास उपकर, उस कीमत के, जिस पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर किसी ऐसे कर के अतिरिक्त होगा जो वन-उपज पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है.

(३) वन विकास द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (१) के अधीन देय वन विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विकास के उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, उसी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है.

(४) उपधारा (१) के अधीन संगृहीत वन विकास उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिये जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम निकालेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वसूल किए गए वन विकास उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे वन विकास निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम राजस्थान राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे.

(५) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विवेकानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :—

(क) सामाजिक वानिकी प्रयोजन;

(ख) वनरोपण, पुनर्वनरोपण तथा वनों का पुनरुद्धार; और

(ग) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

(६) वन विकास निधि का संधारण और परिचालन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ४—खनिज क्षेत्र विकास उपकर.

८. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "अनिवार्य भाटक" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय अनिवार्य भाटक;

(ख) "भूमि" से अभिप्रेत है खनन संक्रियाएं चलाने के लिए खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि;

(ग) "खनिज क्षेत्र विकास उपकर" से अभिप्रेत है खनन संक्रियाएं चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर धारा ९ के अधीन उद्गृहीत उपकर;

(घ) "स्वामित्व (रायल्टी)" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय स्वामित्व (रायल्टी) और उसके अन्तर्गत उस भूमि में से खनिज निकालने के अधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किये गये या किये जाने के लिये संभाव्य कोई संदाय आते हैं;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं तथा जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

९. (१) खनन संक्रियाएं चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर, उस भूमि के भाटक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा. खनन पट्टा के अधीन की भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर का उद्ग्रहण.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, भाटक मूल्य यथास्थिति स्वामित्व (रायल्टी) या अनिवार्य भाटक, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होगा.

(३) खनिज क्षेत्र विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसे खनन पट्टा अनुदत्त किया जाता है.

(४) खनिज क्षेत्र विकास उपकर का संग्रहण ऐसे प्राधिकारियों द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, उन नियमों के, जो कि इस निमित्त बनाये जावें, अध्यधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार किया जावेगा और उसका उपयोजन खनिज-धारित क्षेत्रों के विकास के लिये किया जावेगा.

भाग ५—प्रकीर्ण.

१०. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार उस कठिनाई को आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी : कठिनाई दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में, अभिप्रेत है प्रारंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उस उपबन्ध के संबंध में धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई हो.

नियम बनाने की शक्ति.

११. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

भोपाल, दिनांक ६ मई १९८२

क्र. ११६६९-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश [illegible] अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १२ सन् १९८२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क. च. दर. विशेष सचिव.